

कार्यालय:- महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/ 106

/2018-19 दिनांक- 8 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री विनय कुमार आर्य

प्रभारी खण्ड शिक्षा लमगड़ा

अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/56 /2018-19 दिनांक-08, जून, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार आपका स्थानान्तरण प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, लमगड़ा, अल्मोड़ा से उप शिक्षा अधिकारी, बेरीनाग, पिथौरागढ़ के पद पर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में आपके द्वारा अपने प्रत्यावेदन दि०-12.06.2018 में नवीन तैनाती स्थल में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र सं०-440/XXIV-2/2018-12(01)/2012 दि०-18.06.2018 द्वारा आपके उक्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है। सूच्य है कि आपका मूल पद उप शिक्षा अधिकारी/समकक्ष है तथा स्थानान्तरण समिति द्वारा मूल पद पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त आपका प्रत्यावेदन दिनांक-11.06.2018 निस्तारित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से 03 तीन के भीतर अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०- 47/6-26 /सेवायें प्रशा/स्था०/2018-19 दिनांक-उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
- 2-निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड, शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 4-सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।
- 7-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा मण्डल नैनीताल।
- 8-सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को आशय से प्रेषित कार्यमुक्त न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाये।
- 9-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद को इस निर्देश के साथ कि वह आदेश प्राप्ति के दिवस ही उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए उसी दिन महानिदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10-प्रभारी एम०आई०एस०, अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 11-गार्ड फाईल।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय:- महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/ 107

/2018-19 दिनांक-8 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री भानु प्रताप

उप शिक्षा अधिकारी,

मुनस्यारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/55 /2018-19 दिनांक-08, जून, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार आपका स्थानान्तरण उप शिक्षा अधिकारी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ से उप शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, पिथौरागढ़ के पद पर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा को सम्बोधित आपके प्रत्यावेदन दि०-07.07.2018 में नवीन तैनाती स्थल में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र सं०-530/XXIV-2/2018-12(02)/2017 दि०-27.07.2018 द्वारा आपके प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है। सूच्य है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आपके द्वारा दिए गए विकल्पों में से ही आपको नवीन तैनाती स्थल दिया गया है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त आपका प्रत्यावेदन दिनांक-07.07.2018 को निस्तारित करते हुए निर्णय लिया गया है कि आपके नवीन तैनाती स्थल संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पू०सं०- 4727-37 /सेवायें प्रशा/स्था०/2018-19 दिनांक-उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
- 2-निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड, शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 4-सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।
- 7-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 8-सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 9-मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।
- 10-प्रभारी एम०आई०एस०, अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 11-गार्ड फाईल।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय:- महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून  
आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/ 105 /2013-19 दिनांक- 7 अगस्त, 2013  
कार्यालय ज्ञाप

श्रीकान्त पुरोहित  
प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/54 /2018-19 दिनांक-08, जून, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार आपका स्थानान्तरण प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार से उप शिक्षा अधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी के पद पर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा को सम्बोधित आपके प्रत्यावेदन दि०-11.06.2018 के द्वारा नवीन तैनाती स्थल में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र सं०-455/XXIV-2/2018-12(02)/2017 दि०-16.07.2018 द्वारा आपके प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है। सूच्य है कि आपका मूल पद उप शिक्षा अधिकारी/समकक्ष है तथा स्थानान्तरण समिति द्वारा मूल पद पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त आपका प्रत्यावेदन दिनांक-11.06.2018 निस्तारित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से 03 तीन के भीतर अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०-4641-53/सेवायें प्रशा/स्था०/2018-19 दिनांक-उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
- 2-निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड, शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 4-सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।
- 7-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8-सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को आशय से प्रेषित कार्यमुक्त न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाये।
- 9-मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद को इस निर्देश के साथ कि वह आदेश प्राप्ति के दिवस ही उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए उसी दिन महानिदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10-प्रभारी एम०आई०एस०, अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 11-गार्ड फाईल।

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड